न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–16 / 2013 तारीख दायरा 01.07.2013

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर .....प्रार्थी

बनाम

रामचंद्र पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तह0 श्रीकरणपुर

..... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः–

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री प्रदीप सिहाग एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः–

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर द्वारा रेफरेन्स अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत पेश किया गया कि रामचंद्र पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तह0 श्रीकरणपुर को उपखंड एवं आवंटन अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा रकबा चक 1 एफएफ ए के खसरा नं. 41 का 11.638 गैर मुमकिन जोहड़ पायतन तथा खसरा नं. 43 का 0.304 गैर मुमकिन जोहड़ पायतन में से खसरा नं. 41 का किला नं. 1 से 3, 8 से 13, 17 से 24 कुल 17 बीघा (4.301हैक्टर) भूमि का रामचंद्र पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तह0 श्रीकरणपुर के नाम आवंटन आदेश पारित किया गया है। रकबा जोहड़ पायतन का होने के कारण अप्रार्थी को आवंटन योग्य नहीं था। रेफरैंस स्वीकार किये जाने हेतु इस्तदुआ की गई।
2. रैफरैंस पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी की को से श्री प्रदीप सिहाग एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया।
3. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन है कि रकबा जोहड पायतन का होने के कारण उपखण्ड अधिकारी को आवंटन का कोई अधिकार नहीं था। अतः रैफरैंस स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावे।
4. इसके विरोध में लायक वकील अप्रार्थी का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी का आदेश युक्तियुक्त है। इन्तकाल प्रार्थी के नाम से हो चुका है व प्रार्थी भूमि पर काबिज है। रैफरैंस खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जिला कलक्टर ऐसा रिकार्ड शुद्धता व वैधता की जांच हेतु रिकार्ड मंगाकर राज्य सरकार अथवा राजस्व मण्डल को भेज सकते हैं।

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, पदमपुर द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, भू–प्रबन्धन विभाग की जमाबन्दी के अनुसार जोहड़ दर्ज है। इंतकाल अनुसार जोहड़ स्वीकृत हुआ है।

उक्त भूमि की किस्म मुताबिक इन्तकाल संख्या 129 दिनांक 20.05.2006 जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी जबकि उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर द्वारा आवंटन आदेश 03.09.1982 द्वारा भूमि अप्रार्थी को आवंटित की गई है। धारा 16 में उपबंधित किया गया है कि Land reserved for flow of water can not be allotted on the basis of long possession ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर